



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



13 आश्विन, 1945 (श०)

संख्या - 593 राँची, गुरुवार,

5 अक्टूबर, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

3 अगस्त, 2023

संख्या-5/आरोप-1-27/2023-23310 (HRMS)-- चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्रीमती अमृता प्रियंका एक्का, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-548/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कामडारा, गुमला के विरुद्ध 15वें वित्त आयोग, मनरेगा योजनाओं के क्रियान्वयन में विभागीय निदेशों की अवहेलना करते हुए योजनाओं का क्रियान्वयन में लाभुक समिति के माध्यम से न करते हुए भेण्डर को सीधे राशि का भुगतान करने, योजनाओं में अनियमित रूप से अग्रिम का भुगतान करने एवं पूर्व अग्रिम के समायोजन किये बिना दूसरा अग्रिम का भुगतान करने, एक बड़ी राशि भेण्डर को भुगतान करने के बावजूद योजनाओं का लंबित रहने, योजनाओं की नियमित समीक्षा एवं निरीक्षण नहीं करने, मनरेगा अधिनियम के विरुद्ध जन प्रतिनिधि एवं उनके परिवार को योजना का लाभ प्रदान करने एवं टुरुण्डु पंचायत के मुखिया की अनुपस्थिति की सूचना जिला स्तर पर उपलब्ध नहीं करने तथा उनके डिजिटल हस्ताक्षर का अनधिकृत रूप से उपयोग करते हुए राशि की निकासी करने संबंधी आरोप, जैसा कि ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-1969, दिनांक 09.05.2023

के माध्यम से प्राप्त उपायुक्त, गुमला के पत्रांक-465(ii)/स्था0, दिनांक 12.04.2023 द्वारा गठित आरोप पत्र में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है।

2. अतः श्रीमती एक्का के विरुद्ध आरोप पत्र में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

3. तदनुसार एतद् द्वारा श्रीमती एक्का को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ।

4. श्रीमती एक्का द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल द्वारा श्री अरविन्द कुमार, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

5. श्रीमती एक्का के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गुमला को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है।

6. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	AMRITA PRIYANKA EKKA 110007710610	श्रीमती अमृता प्रियंका एक्का, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कामडारा, गुमला सम्प्रति सहायक निदेशक, डॉ० रामदयाल मुण्डा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, मोराबादी, राँची के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,
सरकार के संयुक्त सचिव
जीपीएफ संख्या: BHR/BAS/3601
